निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 40/2022 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जरिये श्री राहुल भावरिया प्रतर्वन निरीक्षक, सांभर ।

प्रार्थी

बनाम

श्री प्रेमचन्द कुमावत पुत्र श्री मांगीलाल निवासी मारवालों की ढाणी, ग्राम आसलपुर, तहसील फुलेरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 13 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 99.40 किलोग्राम को साजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थितः–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सुनील कुमार कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 09.01.2023**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के आदेश कमांक 2379 दिनांक 22.11.2022 की पालना में गठित जांच दल को घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैद्य भण्डारण व खरीद फरोक्त की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ एवं रूबरू मौतबिरान के दिनांक 22.11.2022 को श्री प्रेमचन्द कुमावत पुत्र श्री मांगी लाल निवासी मारवालों की ढाणी, ग्राम आसलपुर, तहसील फुलेरा स्थित मकान की अप्रार्थी श्री प्रेमचन्द कुमावत की उपस्थिति में जांच की गई। मकान के अन्दर 14.2 किलोग्राम क्षमता के बीपीसीएल के 10 घरेलू गैस सिलेण्डर जिनमें से 5 भरे हुये तथा 5 खाली तथा एचपीसीएल के 14.2 किलोग्राम क्षमता के 03 घरेलू गैस सिलेण्डर जिनमें 2 भरे हुये व 01 खाली पयया गया । इस प्रकार मौके पर कुल 13 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी प्रेमचन्द कुमावत के द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही अवैद्य भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। इस प्रकार मौके पर श्री प्रेमचन्द कुमावत द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैद्य कारोबार एवं अवैद्य भण्डारण किया जाना पाये जाने पर मौके से प्राप्त 13 घरेलू गैस सिलेण्डरों का तौल श्री दिनेश शर्मा कार्यकर्ता मैसर्स अन्नपूर्ण मॉ भारत गैस ऐजेन्सी नरैना से करवाया गया। तौल कराने पर उक्त 13 घरेलू गैस सिलेण्डरों में 99.40 किलोग्राम एल पी जी पाई गई। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त 13 घरेलू गैस

जिला कलक्टर
जयपुर

सिलेण्डर मय एलपीजी 99.40 कि.ग्रा. को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 29.11.2022 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से श्री सुनील कुमार कुमावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मकान के अन्दर 14.2 किलोग्राम क्षमता के बीपीसीएल के 10 घरेलू गैस सिलेण्डर जिनमें से 5 भरे हुये तथा 5 खाली तथा एचपीसीएल के 14.2 किलोग्राम क्षमता के 03 घरेलू गैस सिलेण्डर जिनमें 2 भरे हुये व 01 खाली पाया गया । इस प्रकार मौके पर कुल 13 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये । मौके पर उपस्थित अप्रार्थी प्रेमचन्द कुमावत के द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही अवैद्य भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया । इस प्रकार मौके पर कुल 13 घरेलू गैस सिलेण्उर 14.2 किलोग्राम क्षमता के पाये गये, जिनमें बीपीसीएल के 5 भरे व 5 खाली तथा एचपीसीएल के 02 भरे हुये व 01 खाली पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की आपराधिक मनः स्थिति एवं बदनीयति बखूबी सिद्व होती है। अतः उक्त जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थी के कब्जे से जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर घर में शादी होने से शादी में खाना बनाने के लिए आस पड़ौस एवं भाई बन्धुओं से लेकर आये थे। सभी घरलू गैस सिलेण्डर कनेक्शन शुदा है। शादी का कार्ड अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अप्रार्थी की गैस सिलेण्डर के कालाबाजारी या अवैद्य मुनाफा की कोई मन' स्थिति नहीं थी। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के किसी शर्त या धारा का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर रिलीज किये जाने के आदेश फरमावें।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 22.11.2022 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

जिला कलक्टर
जयपुर

7. प्रार्थी ने जब्त किये गये सिलेण्डर्स शादी में आने वाले मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए उपयोग में लिये जाने के लिए इकट्ठा किया जाना बताया है। समर्थन में शादी का कार्ड व केश डायरी प्रस्तुत की है। जिससे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की आपराधिक मन: स्थिति सिद्ध नहीं होती है । सौ किलोग्राम से ज्यादा एलपीजी के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। दौराने जांच मौके पर अप्रार्थी के कब्जे से कुल 13 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 99.94 किलोग्राम एलपीजी के जब्त किये गये है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को रिलीज किया जाना वाजिब समझते है।
8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को जब्त 13 सिलेण्डर्स मय एल पी जी 99.40 किलोग्राम लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है।
9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर